FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector

*****

(Revised NOC)

No./..939 /वनाधिकार/आ.जि./17 Dated.07/03/2017

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **348.714** hectare of forest land proposed to be diverted in favour **of** WESTERN COALFIELDS LIMITED PENCH AREA, PARASIYA (name of user agency) for Dhankasa underground coal mining operation (purpose for diversion of forest land) in Chhindwara district falls within jurisdiction of **gram PAYLEE, Revenue forest land admeasuring 8.567 hect. Khasra No: P 154, 195/1-3, P 216, P 217, P219, P 220, P 223, P 224, P 228 & P 232 and Nehariya Reserve Forest Block No: 41, compartment No. No: 736, 737, 738, 739 & 740 admeasuring 340.147 Ha. Block PARASIYA of forest rang PAYLEE village(s) in PARASIYA Tehsil.** It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire village of **gram PAYLEE , Revenue forest land admeasuring 8.567 hect. Khasra No: P 154, 195/1-3, P 216, P 217, P219, P 220, P 223, P 224, P 228 & P 232 and Nehariya Reserve Forest Block No: 41, compartment No. No: 736, 737, 738, 739 & 740 admeasuring 340.147 Ha. Block PARASIYA of forest rang PAYLEE village(s) in PARASIYA Tehsil** forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....**1**....to .....**7**.....

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) Each of the concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **PAYLEE** village(s) is enclosed as **annexure** ......**1**.....to......**7**.....

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

<u>Encls.</u>: As above - Gram sabha proceeding.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of ....

Office of the District Collector

*****

No..5664 Dated..20/11/15

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **10.810** hectare of forest land proposed to be diverted in favour **of Western Coalfields Limited, Pench Area, PARASIYA** (name of user agency) for under ground coal mining operation (purpose for diversion of forest land) forDhankasa under ground coal mining in Chhindwara district falls within jurisdiction of **gram Sejwara Khurd , forest land 10.810 hect., Revenue forest land of Khasra Nos. 394, 398, 410, 405, 407, 421, 437 total 10.810 hect., forest compartment no. P 736, P 737, P 738, P 739 & P 740 of Parasia/Amarwara Block, Sejwara Khurd Village of forest range in PARASIYA/Amarwara tehsil.** It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... that of **gram Sejwara Khurd , forest land 10.810 hect., Revenue forest land of Khasra Nos. 394, 398, 410, 405, 407, 421, 437 total 10.810 hect., forest compartment no. P 736, P 737, P 738, P 739 & P 740 of Parasia/Amarwara Block, Sejwara Khurd Village of forest range in PARASIYA/Amarwara tehsil.** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .8..to ..... annexure..12....

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Sejwara Khurd** village(s) is enclosed as **annexure .8..to annexure ..12...**

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls.: As above - Gram Sabha proceeding.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of ....

Office of the District Collector

*****

No. 5665 Dated 20/11/15

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **2.992** hectare of forest land proposed to be diverted in favour **of Western Coalfields Limited, Pench Area, PARASIYA** (name of user agency) for under ground coal mining operation (purpose for diversion of forest land) forDhankasa under ground coal mining in Chhindwara district falls within jurisdiction of **gram Banki , forest land 2.992 hect., Revenue forest land of Khasra Nos. 53/1, 55 & 56 total 2.992 hect., forest compartment no. P 736, P 737, P 738, P 739 & P 740 of Parasia Block, Banki Village of forest range in PARASIYA/Amarwara tehsil.** It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... that of **gram Banki , forest land 2.992 hect., Revenue forest land of Khasra Nos. 53/1, 55 & 56 total 2.992 hect., forest compartment no. P 736, P 737, P 738, P 739 & P 740 of Parasia Block, Banki Village of forest range in PARASIYA/AMARWARA tehsil** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 13 to ..... annexure 18...

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Banki** village(s) is enclosed as **annexure** 13 **to annexure** 18...

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls.: As above - Gram Sabha proceeding.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of ....

Office of the District Collector

*****

No...5666 Dated..20/11/15

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **23.325** hectare of forest land proposed to be diverted in favour **of Western Coalfields Limited, Pench Area, PARASIYA** (name of user agency) for under ground coal mining operation (purpose for diversion of forest land) forDhankasa under ground coal mining in Chhindwara district falls within jurisdiction of **gram Behariya , forest land 23.325 hect., Revenue forest land of Khasra Nos. 4, 72/1A, 81/1A, 83, 94/1A, 113/1, 117, 120/1, 143/1, 148, 149,/1, 68/1, 120/5, 120/7, 122/1, 130/1, 237/1 & 354 total 23.325 hect., forest compartment no. P 736, P 737, P 738, P 739 & P 740 of Parasia Block, Behariya Village of forest range in PARASIYA.......tehsil.** It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... that of **gram Behariya , forest land 23.325 hect., Revenue forest land of Khasra Nos. 4, 72/1A, 81/1A, 83, 94/1A, 113/1, 117, 120/1, 143/1, 148, 149,/1, 68/1, 120/5, 120/7, 122/1, 130/1, 237/1 & 354 total 23.325 hect., forest compartment no. P 736, P 737, P 738, P 739 & P 740 of Parasia Block, Behariya Village of forest range in PARASIYA.......tehsil.** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 19 to ..... annexure..26..

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Behariya** village(s) is enclosed as **annexure** 19 **to annexure** ..26.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

<u>Encls.</u>: As above - Gram Sabha proceeding.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

ANNXURE - I

Swastik

पंचायत की [illegible] कार्यवाही की पुस्तक   स्वीकृत प्रस्तावों की तामील का रंजिस्टर

प्रस्ताव	ठहराव	स्वीकृत प्रस्ताव क्र. तथा दिनांक	विवरण	तामील क्या हुई
1	2	3	4	5
प्रस्ताव क्रमांक ①	वनाधिकार भूमी मे हितग्राहियो को पट्टा न उपलब्ध के सम्बंध मे प्रस्ताव बावद	प्रस्ताव क्रमांक ① 17/11/2015	ग्राम पंचायत जमुनियापठार के ग्राम पायली मे आज दिनांक 17/11/2015 को वनाधिकार के सम्बंध मे ग्रामसभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा मे उपस्थित सदस्यो द्वारा बताया गया कि वनाधिकार से सम्बंधित पूर्व मे कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ है। पूर्व मे वनाधिकार सम्बंधित किसी भी वनाधिकार का पट्टा नही दिया गया है। एवं वन भूमी पर किसी भी प्रकार वनाधिकार हेतु सम्बंधित दावा शेष नही है। अतः ग्राम पायली मे उपस्थित सदस्यो द्वारा प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया जो सत्य व सही है।	

TRUE COPY
Tahsildar
Parasia

सचिव
ग्राम पंचायत, जमुनियापठार
जनपद पंचायत, परासिया

सिरभा उईके
सरपंच
ग्राम पंचायत, जमुनिया पठार
जनपद पंचायत, परासिया

ANNEXUE-2

15/11/2015 ग्राम सभा पावली

क्र	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	हरेला	हंसलाल किसनलाल डेहरिया हनुमान [illegible] दलीपलाल कुमरे प्रेम [illegible] दलमलाल राजेश बलावेर रमेश उइके रामचरन [illegible] बरयारी कपस लाल कुमरे अशोक उदयभानलाल कुमरे Raghuveer uikey गंगाराम कुमरे [illegible] गणेश अनिलकुमार नागवंशी दसमान धुर्वे रामपत कुमरे गनेश राजनन्दन कुमरे लखन धुर्वे श्रीचन्द बोरवार

TRUE COPY
Tahsildar
Parasia

सत्यापित प्रति

सचिव
ग्राम पंचायत जमुनियापठार
जनपद पंचायत परासिया

ANNEXURE-3

अशोक कुमार

राम लाल

राजकुमार

[illegible]

किसनलाल डेहरिया

सचिव
ग्राम पंचायत, जमुनिया पठार
जनपद पंचायत, परासिया

TRUE COPY
Tahsildar
Parasia

ANNEXURE - 4

कार्यालय ग्राम पंचायत जमुनिया पठार
ग्राम पायली
जनपद पंचायत परासिया
जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र)

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. डब्ल्यू सी .एल. पेंच क्षेत्र की कोयला खदान धनकसा भूमिगत खान में कोयला उत्खनन एवं उत्खनन से जुड़े संबंधित कार्यो के लिये राजस्व वन भूमियों की स्वीकृति किया जाना प्रस्तावित है। पंचायत क्षेत्र ग्राम जमुनिया पठार के आश्रित/राजस्व वन क्षेत्र के ख.न. 194,195/1–3, 216, 217, 219, 220, 223, 224, 228, 232 कुल रकबा 8.567 हे. में उक्त भूमि में व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।

2. वनभूमि में व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वननिवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 17/11/15 को की गई है जिसमें सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित हुये।

3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करता है कि व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत औपचारिकताओं एवं प्रकियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।

4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्यो से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्नः– ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

TRUE COPY
Tahsildar
Parasia

उपसरपंच ग्राम पंचायत जमुनिया पठार	सरपंच सरपंच ग्राम पंचायत,जमुनिया पठार जनपद पंचायत परासिया ग्राम पंचायत जमुनिया पठार	सचिव सचिव ग्राम पंचायत जमुनिया पठार जनपद पंचायत,परासिया ग्राम पंचायत जमुनिया पठार

ANNEXURE-5

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
परासिया

विषयः— ग्राम पायली में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चियन के संबंध में।

महोदय जी,

निवेदन है कि ग्राम पायली प.ह.न. 29 रा.नि.म. सिरगोरा तहसील परासिया व जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत ग्राम में खसरा कमांक 154, 195/1, 195/3, 216, 217, 219, 220, 223, 224, 228, 232 रकबा कमशः 0.784, 6.402, 0.024, 0.057, 0.081, 0.027, 0.239, 0.291, 0.405, 0.057, कुल रकबा 8.567 राजस्व वन भूमि है। उक्त खसरा न. पर वनाधिकार अधिनियम के तहत भूमि का पूर्व में पट्टा प्रदाय नही किया गया है। एवं कोई वनाधिकार दावा ग्राम मे शेष नही है। वे.को.लि. पेंच क्षेत्र परासिया द्वारा वनमंडल छिन्दवाड़ा (सा) पश्चिम वन परिक्षेत्र परासिया के राजस्व वन भूमि खसरा कमांक 154, 195/1, 195/3, 216, 217, 219, 220, 223, 224, 228, 232 रकबा कमशः 0.784, 6.402, 0.024, 0.057, 0.081, 0.027, 0.239, 0.291, 0.405, 0.057, कुल रकबा 8.567 हे. क्षेत्र राजस्व वन भूमि पर भूमिगत पद्धति से वेस्टर्न कोल फील्डस लिमीटेड, पेंच एरिया परासिया जिला छिन्दवाड़ा द्वारा कोयला उत्खनन की स्वीकृति हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानो के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

आवेदित क्षेत्र के संबध में प्रतिवेदनानुसार आवेदित क्षेत्र 8.567 हे. राजस्व वन भूमि है। वनाअधिकार अधिनियम 2006 के तहत वे.को.लि. पेंच क्षेत्र परासिया को कोयला उत्खनन हेतु प्रदाय किये जाने हेतु स्थानीय ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पूर्व में ही किया जा चुका है। आवेदित राजस्व भूमि को आवेदित उपयोग हेतु प्रदाय किये जाने पर ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नही है। अतः वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रतिवेदन सेवार्थ प्रस्तुत है।

पटवारी
हल्का नंबर 29
जमुनिया पठार

TRUE-COPY
Tahsildar
Parasia

ANNEXURE- 6

कार्यालय तहसीलदार परासिया,जिला छिन्दवाड़ा

प.क्र./ /तह/2015 परासिया, दिनांक /11/2015

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
परासिया

विशय :– वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चियन के तहत अनापत्ति बाबद।

संदर्भ :– कलेक्टर महोदय छिन्दवाड़ा द्वारा दूरभाष पर दिनांक 16.11.2015 को दिये गये निर्देशानुसार।

––00––

विषयांतर्गत प्रतिवेदन है कि ग्राम पायली रा.नि.म. परासिया तहसील परासिया व जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत वे.को.लि. पेंच क्षेत्र द्वारा वनमंडल छिन्दवाड़ा(सा) पश्चिम से वन परिक्षेत्र परासिया के राजस्व वन खसरा क्रमांक 154, 195/1–3, 216, 217, 219, 220, 223, 224, 228, 232 रकबा क्रमशः 0.784, 6.402, 0.024, 0.057, 0.081, 0.227, 0.239, 0.291, 0.405, 0.057 हे.कुल रकबा 8.567 हे. क्षेत्र राजस्व वन भूमि पर भूमिगत पद्धति से वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमीटेड, पेंच एरिया परासिया जिला छिन्दवाड़ा द्वारा कोयला उत्खनन की स्वीकृति हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

आवेदक क्षेत्र के संबध में हल्का पटवारी से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदनानुसार आवेदित क्षेत्र 8.567 हे. राजस्व वन भूमि है। जिसमें ग्राम पायली तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा में स्थित राजस्व वन भूमि रकबा 8.567 हे. भूमि को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वे.को.लि. पेंच क्षेत्र को कोयला उत्खनन हेतु प्रदाय किये जाने हेतु स्थानीय ग्राम सभा ग्राम पायली द्वारा प्रस्ताव पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदित राजस्व वन भूमि, आवेदक को कोयला उत्खनन करने हेतु उत्खनित पटटा प्रदाय किया जा सकता है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
परासिया

TRUE-COPY
Tahsildar
Parasia

ANNEXURE-7

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.)परासिया,जिला छिन्दवाड़ा

ज्ञापन

क्रमांक /386/री–1/अविअ 2015,

परासिया,दिनांक 18/11/2015

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,
(खनिज शाखा)
छिन्दवाड़ा(म.प्र.)

विषयः– छिन्दवाड़ा जिले के पश्चिम वनमंडल वनपरिक्षेत्र परासिया में स्थित राजस्व वन भूमि कुल रकबा 8.567 हे. भूमि पर कोयला उत्खनन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

संदर्भः– कलेक्टर महोदय छिन्दवाड़ा द्वारा दूरभाष पर दिनांक 16.11.2015 को दिये गये निर्देशानुसार।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से छिन्दवाड़ा जिले के परासिया वनपरिक्षेत्र के ग्राम पायली प.ह.न. 29 में स्थित राजस्व वन भूमि क्षेत्रफल 8.567 पर कोयला उत्खनन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में। वे.को.लि. पेचं क्षेत्र परासिया द्वारा कोयला उत्तखनन हेतु स्वीकृति बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में परीक्षण कर प्रतिवेदन चाहा गया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में तहसीलदार परासिया द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रतिवेदन मंगाया गया है। उनके द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदित क्षेत्र ग्राम पायली तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा में स्थित भूमि खसरा नंबर 154, 195/1–3, 216, 217, 219, 220, 223, 224, 228, 232 रकबा क्रमशः 0.784 ,6.402, 0.024, 0.057, 0.081, 0.227, 0.239, 0.291, 0.405, 0.057 कुल रकबा 8.567 हे. क्षेत्र राजस्व वन भूमि है। उपरोक्त भूमि पर वे.को.लि. पेंच क्षेत्र परासिया द्वारा कोयला उत्खनन किये जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वे.को.लि. पेंच क्षेत्र परासिया को कोयला उत्खनन हेतु प्रदाय किये जाने हेतु स्थानीय ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव पूर्व में पारित किया जा चुका है। तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित भूमि कोयला खनन हेतु वे.को.लि.पेंच क्षेत्र परासिया को नियमानुसार प्रदाय किया जाना प्रतिवेदित है।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

18/11/15

अनुविभागीय अधिकारी
परासिया

TRUE COPY
Tahsildar
Parasia

ANNEXURE-8

ग्राम सभा बैठक दिनांक 22-10-2015 ग्राम सेलवाड़ा खुर्द

पंचायत पुरतला तह. अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा सन् 2015

क्रमांक	उपस्थिति पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही	कार्यवाही संक्षिप्त	प्रस्ताव जो पास हुए	पंचों के दस्तखत या अंगुठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7
		ग्राम सभा आयोजन के सम्बंध में।	आज दिनांक 04-10-2015 को ग्राम सभा बैठक ग्राम सेलवाड़ा खुर्द में रखा गया जिसकी अध्यक्षता श्री प्रेमकुमार उइके सरपंच को अध्यक्षता पर कार्यवाही शुरू किया गया।		सर्व	Rukdi
		(01) नल जल योजना के तहत पाइपलाईन बढ़ाने के सम्बंध में।	(01) सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नल जल योजना के अंतर्गत 200 मीटर और ग्राम सभा प्रस्तावित विचार विमर्श कर निर्णय ग्राम सेलवाड़ा खुर्द में नल निर्माण कार्य चालू है, पाइपलाइन बढ़ाने हेतु जरूरी है।		सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया गया।	[signature] 4.10.15 प्रेमचंद [signature] शनिलाल
		(02) पंचायतों में वृक्षारोपण के माध्यम से आय के स्त्रोतों में वृद्धि के सम्बंध में चर्चा	सर्व सम्मति से लिया गया कि सम्बंध में चर्चा किया गया आगामी ग्राम सभा में शासन को निर्धारण किया जायेगा।	विचार विमर्श कर निर्णय ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण हेतु	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया गया।	कुंवरलाल धुर्वे कुलेश धुर्वे [thumb impression] सकूं कुंदनसी [signature]
		(03) गांव को शौच से मुक्त करने हेतु संकल्प सरपंच एवं पंचों को अधिकारी दिलाने के सम्बंध	सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया गांव को शौच से मुक्त करने जानकारी दिया गया एवं संकल्प लिया गया।	विचार विमर्श कर कि गांव से शौच हेतु ग्राम सभा में एवं संकल्प लिया	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया गया।	[signature] [signature] [signature] [signature]
		(04) जिले की समस्त ग्राम सभाओं में पंचायत क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों की सूची वाचन के सम्बंध	(04) जिले की पंचायत क्षेत्र के सूची का वाचन जानकारी दिया	समस्त ग्राम सभाओं में पात्र हितग्राहियों की ग्राम सभा में गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया गया।	[signature] तुलसीराम इव दिवलिप

आपूर्ति - स्टुडेन्ट्स बुक स्टोर्स, अंधेरदेव, जबलपुर फोन - 0761-2311922

[signature] सचिव ग्राम पंचायत पुरतला जनपद पंचायत अमरवाड़ा

[signature] [stamp]

ANNEXURE-9

पंचायत .... त................ जिला .... सन् ....

क्रमांक	उपस्थिति पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही	कार्यवाही संक्षिप्त	प्रस्ताव जो पास हुए	पंचों के दस्तखत या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7
		(05) 6 से 14 आयु वर्ग के शाला अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बच्चों को चिन्हित कर शाला में दर्ज कराने के सम्बंध में।	(05) सर्व सम्मति निर्णय लिया गया के अन्तर्गत ग्राम 06 से 14 आयु वर्ग शाला त्यागी बच्चे सभा दिया गया दर्ज है।	से विचार विमर्श कर कि ग्राम पंचायत खरतला खेतवाड़ा खुर्द में के शाला अप्रवेशी एवं की जानकारी ग्राम सभी स्कूल में		परमानशाह धुर्वे सुकदेव धुर्वे सुरतदयाल धुर्वे फूलसींग धुर्वे
		(06) ग्राम वासियों को वन भूमि वनाधिकार पत्रक के सम्बंध में।	(06) सर्व सम्मति निर्णय लिया गया में ग्रामवासीयों को वहत लाभ नहीं	से विचार विमर्श कर कि ग्राम खेतवाड़ा खुर्द वन अधिकार के दिया गया है।		
		(07) वन भूमि पर दावा शेष के सम्बंध में।	सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया में वन भूमि पर दावा शेष नहीं।	विचार विमर्श कर कि ग्राम खेतवाड़ा खुर्द अधिकार के तहत व्यक्तिगत		
		(08) 02-10-2015 को ग्राम सभा में वन अधिकार के तहत नवीन दावा के सम्बंध में।	सर्व सम्मति निर्णय लिया गया से वन अधिकार दावा निम्न अनुसार प्राप्त हुए।	से विचार विमर्श कर कि ग्राम खेतवाड़ा खुर्द के तहत व्यक्तिगत		
			1) दीलीप / दीपचन्द	गोंड खेतवाड़ा खुर्द 2 एकड़		
			2) छदस्लाल / ओंकल	गोंड -//- 5 एकड़		
			3) धरमान / मोहन	गोंड -//- 01 एकड़		

आपूर्ति - स्टुडेण्ट्स बुक स्टोर्स, अंधेरदेव, जबलपुर फोन - 0761-2311922

[signature] ग्राम पंचायत ... जनपद पंचायत अमरवाड़ा [signature] [signature]

ANNEXURE-10

पंचायत .... तहसील .... जिला .... सन् ....

	उपस्थिति पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही	कार्यवाही संक्षिप्त	प्रस्ताव जो पास हुए	पंचों के दस्तखत या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6	7
			(4) सुखदेव/मोहन	गोंड मोजवाड़/सुई - 01 एकड़		
			(5) सुखपाल/मोहन	गोंड -"- 01 एकड़		
			(6) राम प्रसाद/बिशाला	गोंड -"- 01 एकड़		
			(7) अनन्द/बारेलाल	गोंड -"- 2 एकड़		
			(8) बिसन/मोहते	गोंड -"- 2 एकड़		
			(9) आमशा/लोचन	गोंड -"- 04 एकड़		
		(2) मद्य निषेध सप्ताह (2 से 8 अक्टूबर 2015 के आयोजन के संबंध में।	(2) सर्व सम्मति निर्णय लिया सप्ताह (2 से 8 आयोजन के प्रचार से (जानकारी) दिया गया।	से चर्चा विचार किया गया कि मद्य-निषेध अक्टूबर 2015 को आयोजन में गांव	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।	
				GRS (हस्ताक्षर)	सचिव ग्राम पंचायत पुरताला जनपद पंचायत अमरवाड़ा (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)

सचिव ग्राम पंचायत पुरताला जनपद पंचायत अमरवाड़ा

सरपंच ग्राम पंचायत पुरताला जनपद पंचायत अमरवाड़ा

आपूर्ति - स्टुडेन्ट्स बुक स्टोर्स, अंधेरदेव, जबलपुर फोन - 0761-2311922

ANNEXURE-11

ार्यालय ग्राम पंचायत पुरतला, ग्राम सेजवाडा खुर्द जनपद पंचायत अमरवाडा, जिला–छिंदवाड़ा (म0प्र0)

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. डब्ल्यू सी.एल. पेंच क्षेत्र की कोयला खदान धनकसा भूमिगत खान में कोयला उत्खनन एवं उत्खनन से जुड़े संबंधित कार्यो के लिये राजस्व वन भूमियों की स्वीकृति किया जाना प्रस्तावित है । पंचायत क्षेत्र ग्राम सेजवाडा खुर्द के आश्रित/राजस्व वन क्षेत्र के ख.न. 394, 398, 401, 405, 407, 421, 437, कुल रकबा 10.810 हे. में उक्त भूमि में व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वननिवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया । प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02.10.2015 को की गई है जिसमें सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित हुये ।

3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करता है कि व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समक्ष लिया है ।

4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्यो से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है ।

संलग्नः– ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

उपसरपंच ग्राम पंचायत पुरतला	**सरपंच** ग्राम पंचायत पुरतला (सरपंच ग्राम पंचायत पुरतला जनपद पंचायत अमरवाडा)	**सचिव** ग्राम पंचायत पुरतला (सचिव ग्राम पंचायत पुरतला जनपद पंचायत अमरवाडा)

ANNEXURE-12

स्थल प्रतिवेदन

वेकोलि ~~कन्हान~~ पेंच क्षेत्र द्वारा म.प्र. के छिन्दवाड़ा जिले के **तहसील–अमरवाडा** में स्थित ग्राम पंचायत **पुरतला** के ग्राम **सेजवाडा खुर्द** में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कुल **10.810** हे. भूमि पर भूमिगत (**U/G**) पद्वति द्वारा कोयला उत्खनन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । जिससे मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण एवं खसरा नक्शे से मिलान करने पर पाया गया कि कुल आवेदित क्षेत्र **10.810** हे. मे से ग्राम **सेजवाडा खुर्द** का खसरा नं. 394 मेंसे , 398, 401 मेंसे, 405, 407, 421 मेंसे , 437 मेंसे का रकबा क्रमशः 6.908 मेंसे 1.773, 1.939 मेंसे 0.591, 0.405, 2.635, 0.790, 8.369 मेंसे 3.128, एवं 19.332 मेंसे 1.488 हे. एवं ग्राम **सेजवाडा खुर्द** का खसरा नं. 394, 398, 401, 405, 407, 421, 437, का रकबा क्रमशः 6.908 मेंसे 1.773, 1.939 मेंसे 0.591, 0.405, 2.635, 0.790, 8.369 मेंसे 3.128, एवं 19.332 मेंसे 1.488 हे. कुल 10.810 हे. राजस्व वन भूमि है । इस प्रकार कुल **10.810** हे. में से राजस्व वन भूमि का रकबा **10.810** हे. है ।

ग्राम सभा में प्रस्ताव पूर्व में स्वीकृत कर सरपंच सचिव द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनापत्ति जारी की गई है । उपरोक्तानुसार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

राजस्व निरीक्षक
अमरवाड़ा-२

PC413
19/11/15

ANNEXURE-13

कार्यालय ग्राम पंचायत बांकी जनपद पंचायत अमरवाड़ा

ग्राम सभा बैठक ग्राम बांकी दिनांक - 02/10/2015

आज दिनांक 02/10/2015 के दिन शुक्रवार को स्थान ग्राम पंचायत भवन बांकी में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 16-/2011/22/पंचा-2 भोपाल दिनांक 28/09/2015 के आदेश अनुसार श्रीमान प्रतिभा सूर्यवंशी उपसरपंच ग्राम पंचायत बांकी की अध्यक्षता में ग्राम सभा बैठक प्रारंभ की गई।

प्रस्ताव क्रमांक 1 शौचालय विहीन परिवारों की सूची का अनुमोदन एवं उनके शौचालय निर्माण कार्य कराने की स्थिति के संबंध में।	① ग्राम सभा परिवारों को परिवारों के ग्राम पंचायत पूर्ण करा निर्माण कार्य निर्माण क० कर लिये	में उपस्थित सदस्यों द्वारा शौचालय विहीन चिन्हित किया गया ग्राम बांकी में 42 शौचालय निर्माण नहीं हुये हैं जिनमें द्वारा 13 परिवारों में शौचालय निर्माण कार्य किये गये हैं एवं 05 परिवारों में शौचालय प्रगति पर हैं। शेष परिवारों के शौचालय अक्टूबर 2015 तक ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण जायेंगे।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
प्र०क्र०2 ग्राम बांकी में 150 मीटर सी०सी० रोड निर्माण कार्य कराने के संबंध में।	② सर्व सम्मति से शास० प्राथ० रोड खराब है रोड निर्माण अनुमोदन किया	से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम बांकी शाला भवन से शासकीय सार्वजनिक कुआं तक अर्थात् उक्त स्थान पर 150 मीटर सी०सी० कार्य कराये जाने हेतु ग्राम सभा द्वारा गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
प्र०क्र०3 सामुदायिक भवन निर्माण कार्य कराने के संबंध में।	③ सर्व सम्मति में सामुदायिक भवन ग्राम बांकी में हेतु ग्राम सभा	से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम बांकी नहीं है। [illegible] सामुदायिक भवन निर्माण कार्य कराने द्वारा अनुमोदन किया गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

सचिव
ग्राम पंचायत बांकी

सरपंच
ग्राम पंचायत बांकी
जनपद खण्ड अमरवाड़ा
जिला-छिन्दवाड़ा

ANNEXURE-14

प्र०क्र०4 ग्राम सभा सदस्यों को ग्राम सभा एजेन्डा पढ़कर सुनाने के संबंध में।	(4) ग्राम सभा में प्रारंभ ग्राम सभा एजेन्डा पर अलग-अलग चर्चा	उपस्थित समस्त सदस्यों को शासन से पढ़कर बताया गया एवं प्रत्येक बिन्दुओं की गई।	
प्र०क्र०5 :- वन भूमि में दावा आपत्ती के संबंध में।	(5) ग्राम सभा में लोगों के दावे आपत्ती बांकी में वन भूमि	उपस्थित सदस्यों से वन भूमि में काबिज के संबंध में चर्चा की गई ग्राम का किसी प्रकार का दावा शेष नहीं है।	
प्र०क्र०6 मुख्य मार्ग बांकी से धुलमटा ढाना सड़क 1 कि०मी० रोड निर्माण कार्य कराने के संबंध में।	(6) सर्व सम्मति से ग्राम बांकी में मुख्य खराब है जिसकी 2016-17 में रा.ग्रा. से धुलमटा ढाना सड़क हेतु ग्राम सभा द्वारा	विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाता है कि मार्ग बांकी से धुलमटा ढाना सड़क रोड लम्बाई 01 कि० मीटर है अत: रा. ग्रा. योजना अंतर्गत मुख्य मार्ग बांकी 01 कि० मी० रोड निर्माण कार्य कराये जाने अनुमोदन किया गया।	सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
प्र०क्र०7 मुख्य मार्ग बांकी से शमसान घाट सड़क 100 मीटर सी०सी० रोड निर्माण कार्य कराने के संबंध में।	(7) सर्व सम्मति से ग्राम बांकी से शमसान पर 100 मीटर सी० ग्राम सभा द्वारा	निर्णय लिया जाता है कि मुख्य मार्ग घाट सड़क मार्ग खराब है अत: [illegible] सी० रोड निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदन किया गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
प्र०क्र०8 बजरंग ढाना ग्राम बांकी में हेन्डपंप लगवाने के संबंध में।	(8) सर्व सम्मति से बांकी में 150 की पेयजल की समस्या में बोर खनन ग्राम सभा द्वारा	निर्णय लिया जाता है कि बजरंग ढाना ग्राम जनसंख्या है बजरंग ढाना ग्राम बांकी में नहीं है अत: बजरंग ढाना ग्राम बांकी कराया जाकर हेन्डपंप लगवाने जाने हेतु अनुमोदन किया गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
प्र०क्र०9 ग्राम बांकी से मेजवाड़ा मार्ग का नाला में पुलिया निर्माण कार्य कराने के संबंध में।	(9) सर्व सम्मति से मेजवाड़ा मार्ग पर विकास परियोजना हेतु ग्राम सभा	निर्णय लिया जाता है कि [illegible] हेन्डपंप के पास नाला में [illegible] अंतर्गत पुलिया निर्माण कार्य कराये जाने द्वारा अनुमोदन किया गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

[signature] सचिव

[signature] सरपंच ग्रा.पं. बांकी ज.पं. अमरवाड़ा

सरपंच
ग्राम पंचायत बांकी
विकास खंड अमरवाड़ा
छिंदवाड़ा

ANNEXURE-15

प्र.क्र. 10 ग्राम बांकी में पेंशन योजना का लाभ दिलाये जाने हेतु हित० का चयन अनुमोदन किये जाने के संबंध में।	(10) सर्व सम्मति से विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाता है कि ग्राम बांकी में शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न वृद्धा वस्था पेंशन विधवा पेंशन एवं सा०सु० पेंशन योजना अंतर्गत लाभ दिलाये जाने हेतु नि० लि० हित-ग्राहियों का चयन अनुमोदन किया गया।		सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

1. कसमती / अलक गौंड — बांकी - विधवा पेंशन
2. बुद्धो बाई / अनुपचंद कतिया — बांकी - विधवा पेंशन
3. चुनरबाई / गंगाप्रसाद कलार — बांकी - विधवा पेंशन
4. दर्शन / घंसराम गौंड — बांकी - वृद्धा वस्था पेंशन
5. इमरतसिंग / शंकरसिंह राजपूत — बांकी - वृद्धा वस्था पेंशन
6. गलीराम / सुखमन गौंड — बांकी - वृद्धा वस्था पेंशन
7. मुन्नी बाई / आमलशाह गौंड — बांकी - विधवा पेंशन
8. गनपत / घंसराम गौंड — बांकी - वृद्धा वस्था पेंशन
9. सुखवती / गनपत गौंड — बांकी - वृद्धा वस्था पेंशन
10. गप्पा / सुहागलाल गौंड — बांकी - वृद्धा वस्था पेंशन
11. बारचंद / बनवारी गौंड — बांकी - वृद्धा वस्था पेंशन
12. रूपचंद / नंदू गौंड — बांकी - वृद्धा वस्था पेंशन
13. भैयालाल / पंचम गौंड — बांकी - वृद्धा वस्था पेंशन
14. मगनलाल / अनुरथ कलार — बांकी - वृद्धा वस्था पेंशन
15. श्यामा बाई / शेरसिंह गौंड — बांकी - वृद्धा वस्था पेंशन
16. बालचंद / अम्मू गौंड — बांकी - वृद्धा वस्था पेंशन
17. सुखेलाल / गहरू गौंड — बांकी - वृद्धा वस्था पेंशन

[signature]

[signature]
सचिव
ग्रा. पं. बांकी
ज. पं. अमरवाड़ा

[signature]

सरपंच
ग्राम पंचायत बांकी
विकास खंड अमरवाड़ा
जिला - छिन्दवाड़ा

(14)

कार्यालय ग्राम पंचायत बांधी ज०पं० अमरवाड़ा

ग्राम सभा बैठक ग्राम - बांधी
ग्राम सभा बैठक दिनांक - 02/10/2015
ग्राम सभा बैठक स्थान - ग्राम पंचायत भवन बांधी
ग्राम सभा बैठक समय - 12.00 बजे दोपहर

ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर

(1)	संतकुमार विश्वकर्मा (सचिव)	(13)	अशोक
(2)	विजय	(14)	अरविन्द सूर्यवंशी
(3)	[illegible]	(15)	[illegible]
(4)	मुन्नालाल	(16)	रेवती
(5)	रविकान्त	(17)	खेमलाल
(6)	[illegible]	(18)	पटवारी 2/10/15
(7)	संतकुमार मिसकेले	(19)	[illegible]
(8)	[illegible]	(20)	चन्द्रभान
(9)	[illegible]	(21)	[illegible]
(10)	रामभरोस	(22)	रंजीत
(11)	सन्तो (पारसिंह) वर्मा	(23)	जीवनसिंह
(12)	[illegible]	(24)	मुन्शीलाल

(25) मोहनदास

(15)

ANNEXURE-16

ANNEXURE-17

कार्यालय ग्राम पंचायत बाकी, ग्राम बाकी जनपद पंचायत अमरवाडा, जिला–छिंदवाड़ा (म0प्र0)

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. डब्ल्यू सी.एल. पेंच क्षेत्र की कोयला खदान धनकसा भूमिगत खान में कोयला उत्खनन एवं उत्खनन से जुड़े संबंधित कार्यो के लिये राजस्व वन भूमियों की स्वीकृति किया जाना प्रस्तावित है । पंचायत क्षेत्र ग्राम बाकी के आश्रित/राजस्व वन क्षेत्र के ख.न. 53/1, 55, 56 कुल रकबा 2.992 हे. में उक्त भूमि में व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वननिवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया । प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02.10.2015 को की गई है जिसमें सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित हुये ।

3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करता है कि व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समक्ष लिया है ।

4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्यो से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है ।

संलग्नः– ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

उपसरपंच ग्राम पंचायत बाकी	सरपंच ग्राम पंचायत बाकी विकास खंड अमरवाड़ा जिला छिन्दवाडा ग्राम पंचायत बाकी	सचिव ग्राम पंचायत बाकी सचिव ग्राम पंचायत बाकी

ANNEXURE-18

<u>स्थल प्रतिवेदन</u>

वेकोलि ~~कन्हान~~ पेंच क्षेत्र द्वारा म.प्र. के छिन्दवाड़ा जिले के **तहसील–अमरवाडा** में स्थित ग्राम पंचायत **बाकी** के ग्राम **बाकी** में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कुल **2.992** हे. भूमि पर भूमिगत (**U/G**) पद्वति द्वारा कोयला उत्खनन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । जिससे मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण एवं खसरा नक्शे से मिलान करने पर पाया गया कि कुल आवेदित क्षेत्र **2.992** हे. मे से ग्राम **बाकी** का खसरा नं. **53/1 मेंसे, 55 मेंसे, 56 मेंसे** का रकबा क्रमशः **17.478 मेंसे 2.688, मेंसे 0.096, 56 मेंसे 0.680 मेंसे 0.208** हे. एवं ग्राम **बाकी** का खसरा नं. **53/1 मेंसे, 55 मेंसे, 56 मेंसे** का रकबा क्रमशः **17.478 मेंसे 2.688, मेंसे 0.096, 56 मेंसे 0.680 मेंसे 0.208 हे.** कुल **2.992** हे. राजस्व वन छोटे/बड़े झाड़ की भूमि है । इस प्रकार कुल **2.992** हे. मेंसे राजस्व वन भूमि का रकबा **2.992** हे. है ।

ग्राम सभा में प्रस्ताव पूर्व में स्वीकृत कर सरपंच सचिव द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनापत्ति जारी की गई है । उपरोक्तानुसार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाणं पत्र हेतु प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

राजस्व निरीक्षक
अमरवाड़ा-२

पटवारी
PCN २
19/11/15

ANNEXURE-19

कार्यालय ग्राम पंचायत बांकी जनपद पंचायत अमरवाड़ा

ग्रामसभा बैठक दिनांक 03/10/15 ग्राम बेहेरिया

58 सदस्य

आज दिनांक 03/10/15 दिन शनिवार को स्थान शा. प्राथ. शाला भवन ग्राम बेहेरिया में समय 12.00 बजे दोपहर से मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-1/2011/22/पं-2 भोपाल दिनांक 26/09/15 के आदेश अनुसार ग्राम बेहेरिया में श्रीमति मोनिका इनवाती सरपंच ग्राम पंचायत बांकी की अध्यक्षता में ग्राम सभा बैठक प्रारंभ की गई।

प्रस्ताव क्रमांक 1 शासन से प्राप्त ग्रामसभा एजेन्डा पढ़कर सुनाने के संबंध में।	(51) ग्राम सभा में प्राप्त ग्राम सभा एजेन्डा पर अलग-अलग चर्चा	उपस्थित समस्त सदस्यों को शासन से पढ़कर बताया गया एवं प्रत्येक विषयों की गई।
प्र.क्र. 2 सामुदायिक भवन निर्माण कार्य कराने के संबंध में।	(52) सर्व सम्मति से निर्णय भवन नहीं है जिसके कारण परेशानी होती है अतः कराये जाने हेतु ग्राम सभा	लिया जाता है कि ग्राम बेहेरिया में सामुदायिक ग्राम में सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में ग्राम बेहेरिया में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य द्वारा अनुमोदन किया गया।
प्र.क्र. 3 स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत ग्राम बेहेरिया में शौचालय निर्माण कार्य के संबंध में।	(53) ग्राम सभा में उप. ग्राम बेहेरिया में 260 45 परिवारों में स्वच्छ पूर्ण करा दिया गया है एवं है ग्राम सभा सदस्यों को करने हेतु प्रेरित किया	स्थित समस्त सदस्यों को बताया गया कि परिवार है जिनमें से ग्राम पंचायत द्वारा भारत अभियान अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य परिवारों में शौचालय निर्माण कार्य प्रस्तावित शौचालय निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान गया।
प्र.क्र. 4 ग्राम बेहेरिया में वन अधिकार के संबंध में।	(54) ग्राम सभा में उपस्थित के संबंध में चर्चा की गई वन अधिकार का पट्टा वन अधिकार से संबंधित	समस्त सदस्यों को वनअधिकार अधिनियम ग्राम बेहेरिया में किसी भी व्यक्ति को प्रदाय नहीं किया गया है न ही कोई दावा आपत्ति शेष है।

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)
सरपंच
ग्राम पंचायत बांकी
विकास खंड अमरवाड़ा
जिला-छिंदवाड़ा

ANNEXURE-20

प्र.क्र. 5 :- सेमराढाना से जमुनिया रास्ता तक ग्रे.बि.म. रोड निर्माण कार्य कराने के संबंध में	(5) सर्व सम्मति से जमुनिया रास्ता तक रा.ग्रा.रो.गा.योजना जाने हेतु ग्राम सभा	निर्णय लिया जाता है कि सेमराढाना से रोड खराब है अतः वर्ष 2015-16 में अंतर्गत रोड निर्माण कार्य कराये द्वारा अनुमोदन किया गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया
प्र.क्र. 6 मुख्य बस्ती बेहेरिया से पाथली रोड तक ग्रे.बि.म. रोड निर्माण कार्य कराने के संबंध में।	(6) सर्व सम्मति से ग्राम बेहेरिया से पाथली 2015-16 में रा.ग्रा.रो. कार्य कराये जाने हेतु	निर्णय लिया जाता है कि मुख्य बस्ती रोड तक मार्ग खराब है अतः वर्ष ग्रा. योजना अंतर्गत उक्त रोड निर्माण ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
प्र.क्र. 7. ग्राम बेहेरिया में पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाये जाने हेतु हित. का चयन अनुमोदन करने के संबंध में।	(7) सर्व सम्मति से है कि ग्राम बेहेरिया पेंशन, विधवा पेंशन जाने हेतु नि.लि. जो कि निम्नानुसार-	विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाता में शासन द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था एवं सा.सु.पेंशन योजना का लाभ दिलाये हितग्राहियों का चयन अनुमोदन किया गया है -	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया

(1)	प्रभा बाई / कैलाश	उइके - बेहेरिया	विधवा पेंशन
(2)	फूलवती / बालदा	उइके - बेहेरिया	वृद्धावस्था पेंशन
(3)	राधा बाई / खेमचंद	उइके - बेहेरिया	विधवा पेंशन
(4)	समलिया / संतलाल	उइके - बेहेरिया	वृद्धा वस्था पेंशन
(5)	संतलाल / सोरलाल	उइके - बेहेरिया	वृद्धा वस्था पेंशन
(6)	प्रेमी धुर्वे / मेहलाप	धुर्वे - बेहेरिया	वृद्धा वस्था पेंशन
(7)	समलवती / हरिचंद	लेकाम - बेहेरिया	वृद्धा वस्था पेंशन
(8)	हरिचंद / नत्थू	लेकाम - बेहेरिया	वृद्धा वस्था पेंशन
(9)	भागवती / बालकराम	लेकाम - बेहेरिया	विधवा पेंशन
(10)	मथुराबाई / बालकराम	लेकाम - बेहेरिया	विधवा पेंशन
(11)	आगमंद / कन्नू	भलावी - बेहेरिया	वृद्धावस्था पेंशन
(12)	सकुरलाल /	परधान - बेहेरिया	वृद्धा वस्था पेंशन
(13)	भानशाह / अद्दू	मर्सकोले - बेहेरिया	वृद्धा वस्था पेंशन
(14)	खुदिया बाई /	मर्सकोले - बेहेरिया	वृद्धा वस्था पेंशन
(15)	उदयराम /	मर्सकोले - बेहेरिया	वृद्धा वस्था पेंशन
(16)	कलसिया बाई /	मर्सकोले - बेहेरिया	वृद्धा वस्था पेंशन
(17)	बेलाबाई /	परधान - बेहेरिया	विधवा पेंशन

सचिव
ग्राम पंचायत बांकी

सरपंच
ग्राम पंचायत बांकी
विकास खंड अमरवाड़ा
जिला-छिन्दवाड़ा

ANNEXURE-21

प्र०क्र०8 मुख्यमार्ग बहेरिया से ऊंची टोला तक 100 मीटर सी० सी० रोड निर्माण कार्य कराने के संबंध में।	(8) सर्व सम्मति से विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाता है कि ग्राम बहेरिया में मुख्य मार्ग से ऊंची टोला तक मार्ग खराब है जिससे आवागमन में परेशानी होती है अतः वर्ष 2015-16 में मुख्य मार्ग बहेरिया से ऊंची टोला तक 100 मीटर सी० सी० रोड निर्माण कार्य डब्लू० सी० एल० मद अंतर्गत कराये जाने हेतु ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
प्र०क्र०9 रंगमंच ग्राम बहेरिया से गुदी-दाना की ओर 100 मीटर सी० सी० रोड निर्माण कार्य कराने के संबंध में।	(9) सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम बहेरिया में मुख्य बस्ती रंगमंच से गुदीदाना तक रोड खराब है जिससे आवागमन में परेशानी होती है अतः 2015-16 में ग्राम बहेरिया में रंगमंच से गुदीदाना की ओर 100 मीटर सी० सी० रोड निर्माण कार्य डब्लू० सी० एल० मद अंतर्गत कराये जाने हेतु ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
प्र०क्र०10 इम्मीढोला ग्राम बहेरिया में रंगमंच निर्माण कार्य कराने के संबंध में।	(10) सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम बहेरिया के इम्मीढोला में रंगमंच नहीं है अतः वर्ष 2015-16 में इम्मीढोला ग्राम बहेरिया में रंगमंच निर्माण कार्य डब्लू० सी० एल० मद, अंतर्गत कराये जाने हेतु ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
प्र०क्र०11 मुकद्दम दाना ग्राम बहेरिया में रंगमंच निर्माण कार्य कराने के संबंध में।	(11) सर्व सम्मति से निर्णय लिया जाता है कि ग्राम बहेरिया के मुकद्दम दाना में रंगमंच नहीं है अतः वर्ष 2015-16 में मुकद्दम दाना ग्राम बहेरिया में रंगमंच निर्माण कार्य डब्लू० सी० एल० मद अंतर्गत कराये जाने हेतु ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन किया गया।	सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

सचिव
ग्राम पंचायत बांकी

सरपंच
ग्राम पंचायत बांकी
विकास खंड अमरवाड़ा
जिला-छिन्दवाड़ा

ANNEXURE- 22

(16)

कार्यालय ग्राम पंचायत. बांडी ज.पं. अमरवाड़ा

ग्रामसभा बैठक दिनांक 03/07/2015

ग्राम बहेरिया

ग्राम सभा बैठक-ग्राम - बहेरिया

ग्राम सभा बैठक दिनांक - 03/07/2015

ग्राम सभा बैठक स्थान - शास. प्राथ. शाला भवन बहेरिया

ग्राम सभा बैठक समय - 12.00 बजे दोपहर

ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(1) [signature]
(2) लखन
(3) धरमलाल मसकोले
(4) ईश्वर प्रसाद मसकोले
(5) रघुनाथ [illegible]
(6) बदामी
(7) फूलवती
(8) [signature]
(9) छोटेलाल मसकोले
मानसी पंद्रा मसकोले
(10) सन्तलाल
(11) धरमचंद
(12) सेवकपाल
(13) [signature]
(14) दुखीराम
(15) निरपत
(16) [signature]
हीरो सिंग
(17) गोरखनी
(18) [signature]
(19) धनप्रसाद उइके
(20) बाबुलाल कोटवार
(21) [signature]
(22) [signature]
(23) —

(17)

(24) —
(25) —
(26) —
(27) —
(28) —
(29) —
(30) —
(31) —
(32) —
(33) —
(34) —
(35) —
(36) —
(37) —
(38) —
(39) —
(40) —
(41) —
(42) —
(43) —
(44) —
(45) —
(46) —
(47) —
(48) —
(49) राधा उइके
(50) प्रेमीबाई

ANNXURE-23

कार्यालय ग्राम पंचायत बाकी, ग्राम बेहरिया जनपद पंचायत अमरवाडा, जिला–छिंदवाड़ा (म0प्र0)

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. डब्ल्यू सी.एल. पेंच क्षेत्र की कोयला खदान धनकसा भूमिगत खान में कोयला उत्खनन एवं उत्खनन से जुड़े संबंधित कार्यो के लिये राजस्व वन भूमियों की स्वीकृति किया जाना प्रस्तावित है । पंचायत क्षेत्र ग्राम बेहरिया के आश्रित/राजस्व वन क्षेत्र के ख.न. 4, 72/1–क, 81/1क, 83, 94/1क, 113/1, 117, 120/1, 143/1, 148, 149/1, 68/1, 120/5, 120/7, 122/1, 130/1, 237/1, 354, कुल रकबा 23.325 हे. में उक्त भूमि में व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वननिवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया । प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 03.10.2015 को की गई है जिसमें सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित हुये ।

3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करता है कि व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समक्ष लिया है ।

4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्यो से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है ।

संलग्नः– ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

सरपंच
ग्राम पंचायत बांकी
विकास खंड अमरवाड़ा
जिला छिन्दवाड़ा

सचिव
ग्राम पंचायत बांकी

उपसरपंच	सरपंच	सचिव
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत
बाकी	बाकी	बाकी

ANNEXURE-24

स्थल प्रतिवेदन

वेकोलि पेंच क्षेत्र द्वारा म.प्र. के छिन्दवाड़ा जिले के **तहसील–अमरवाडा** में स्थित ग्राम पंचायत बाकी के ग्राम **बहेरिया** में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कुल **23.325** हे. भूमि पर भूमिगत (**U/G**) पद्वति द्वारा कोयला उत्खनन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । जिससे मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण एवं खसरा नक्शे से मिलान करने पर पाया गया कि कुल आवेदित क्षेत्र **23.325** हे. मेंसे ग्राम **बहेरिया** का खसरा नं. **4, 46/1क, 68/1 मेंसे, 72/1क मेंसे, 81/1क मेंसे, 83 मेंसे, 94/1क मेंसे, 113/1, 117, 120/1, 120/5, 120/7, 122/1, 130/1 मेंसे, 143/1 मेंसे, 148 मेंसे, 149/1 मेंसे, 237/1 मेंसे, 353/1 मेंसे, 354 मेंसे** का रकबा क्रमशः 0.967, 0.388, 4.221 मेंसे 1.662, 3.447 मेंसे 1.422, 2.768 मेंसे 0.624, 0.283 मेंसे 0.128, 6.384 मेंसे 5.900, 1.323, 3.719, 2.582, 0.405, 0.081, 0.405, 3.064 मेंसे 0.062, 4.452 मेंसे 1.944, 0.534 मेंसे 0.266, 5.399 मेंसे 0.063, 1.668 मेंसे 0.559, 4.531 मेंसे 0.361, एवं 0.445 मेंसे 0.386 **हे**. एवं ग्राम **बहेरिया** का खसरा नं. **4, 46/1क, 68/1 मेंसे, 72/1क मेंसे, 81/1क मेंसे, 83 मेंसे, 94/1क मेंसे, 113/1, 117, 120/1, 120/5, 120/7, 122/1, 130/1 मेंसे, 143/1 मेंसे, 148 मेंसे, 149/1 मेंसे, 237/1 मेंसे, 353/1 मेंसे, 354 मेंसे** का रकबा क्रमशः 0.967, 0.388, 4.221 मेंसे 1.662, 3.447 मेंसे 1.422, 2.768 मेंसे 0.624, 0.283 मेंसे 0.128, 6.384 मेंसे 5.900, 1.323, 3.719, 2.582, 0.405, 0.081, 0.405, 3.064 मेंसे 0.062, 4.452 मेंसे 1.944, 0.534 मेंसे 0.266, 5.399 मेंसे 0.063, 1.668 मेंसे 0.559, 4.531 मेंसे 0.361, एवं 0.445 मेंसे 0.386 **हे**. कुल **23.325** हे. राजस्व वन छोटे/बड़े झाड़ की भूमि है । इस प्रकार कुल **23.325** हे. मेंसे राजस्व वन भूमि का रकबा **23.325** हे. है ।

ग्राम सभा में प्रस्ताव पूर्व में स्वीकृत कर सरपंच सचिव द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनापत्ति जारी की गई है । उपरोक्तानुसार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

राजस्व निरीक्षक
अमरवाड़ा-2

पटवारी
PCN-21
17/11/15

ANNEXURE-25

कार्यालय :– ;07167 222235
निवास :–; 07167–222223
मो0न0 :– 9479705803

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अमरवाड़ा
जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0)

ज्ञापन

क्रमांक /2181/प्र0स्टेनो/अ0वि0अ0/2015 अमरवाड़ा दिनांक 20–11–2015

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
(आदिवासी विकास)
छिंदवाड़ा ।

विषयः– डब्ल्यू 0सी0एल0 पेंच क्षेत्र की कोयला खदान धनकसा भूमिगत खान में कोयला उत्खनन एवं उत्खनन से जुडे संबंधित कार्यो के लिये राजस्व वन भूमियों की भूमि में व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में ।

संदर्भ :– वेसटर्न कोल फील्डस लिमिटेड पेंच क्षेत्र परासिया का पत्र क्रमांक /वेकोलि/ पेंच क्षेत्र/क्षे.महाप्र/योजना /15–16 /487 दिनांक 10–11–2015

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से डब्ल्यू 0सी0एल0 पेंच क्षेत्र की कोयला खदान धनकसा भूमिगत खान में कोयला उत्खनन एवं उत्खनन से जुडे संबंधित कार्यो के लिये राजस्व वन भूमियों की भूमि में व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है ।

उक्त संबंध में ग्राम बांकी, बहेरिया एवं सेजवाडा खुर्द से ग्राम सभा का प्रस्ताव लिया गया है । निर्धारित प्रपत्र में ग्राम सभा की सहमति भी ली गई है जो संलग्न है एवं संबंधित पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन लिया गया ।

ग्राम सभा ग्राम बांकी ने डब्ल्यू0सी0एल0 पेंच क्षेत्र की कोयला खदान धनकसा भूमिगत खाान में कोयला उत्खनन एवं उत्खनन से जुडे संबंधित कार्यो के लिये राजस्व वन भूमियों की स्वीकृति किया जाना प्रस्तावित है । पंचायत क्षेत्र ग्राम पंचायत बांकी के आश्रित/राजस्व वन क्षेत्र के ख0न0 53/1, 55, 56 कुल रकबा 2.992 हे0 में उक्त भूमि में व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ जिसमें ग्राम सभा की बेठक दिनांक 2–10–2015 को की गई । जिसमें सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित हुये । ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के लिये आवेदित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारो की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत **इस आशय का प्रस्ताव किया है कि सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया उक्त खसरा नंबर एवं रकबा की भूमि** को प्राप्त करने के लिये किसी भी ग्रामवासी को वन अधिकार व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावा प्राप्त नही किया । अतः ग्राम सभा द्वारा विचार नही किया गया । ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावा लंबित नही है । व्यपवर्तन के लिए आवेदित वनभूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रकियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण समझ लिया है । वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्ववरूप संपादति किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है । अतः ग्राम सभा एतद द्वारा उक कार्य पर अपना अभिमत /सहमति व्यक्त करती है । इसी प्रकार ग्राम बहेरिया के प्रस्ताव दिनांक 3–10–2015 से सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ग्राम बहेरिया की शासकीय भूमि ख0न0 4,46/1क, 72/1–क, 81/1,क, 83,

अनुविभागीय अधिकारी
अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा

ANNEXURE-26

94/1क,113/1, 117, 120/1, 143/1, 148, 149/1, 68/1, 120/5, 120/7, 122/1, 130/1, 237/1, 353/1 354 कुल रकबा **23.325** हे0 मद की छोटे/बडेझाड के जंगल की भूमि को प्राप्त करने के लिये किसी भी ग्रामवासी कोई वन अधिकार का व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावा प्रस्तुत नही किया । अतः ग्राम सभा द्वारा विचार नही किया गया । ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावा लंबित नही है । व्यपवर्तन के लिए आवेदित वनभूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण समझ लिया है । वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्ववरूप संपादति किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है । अतः ग्राम सभा एतद द्वारा उक कार्य पर अपना अभिमत /सहमति व्यक्त करती है । इसी प्रकार ग्राम सेजवाडा खुर्द के प्रस्ताव दिनांक 2–10–2015 से सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ग्राम सेजवाडाखुर्द की शासकीय भूमि ख0न0 394, 398, 401, 405, 407, 421, 437, कुल रकबा 10.810 हे0 मद की छोटे/बडेझाड के जंगल की भूमि को प्राप्त करने के लिये किसी भी ग्रामवासी कोई वन अधिकार का व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावा प्रस्तुत नही किया । अतः ग्राम सभा द्वारा विचार नही किया गया । ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्तिगत एवं सामूहिक दावा लंबित नही है । व्यपवर्तन के लिए आवेदित वनभूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण समझ लिया है । वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्ववरूप संपादति किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है । अतः ग्राम सभा एतद द्वारा उक कार्य पर अपना अभिमत /सहमति व्यक्त करती है ।

उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के अध्यक्ष ने भी यह प्रमाण प्रस्तुत किया है कि उक्त आवेदित भूमि पर वन हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये ग्राम बांकी की शासकीय भूमि रकबा 2.992 हे, ग्राम बहेरिया की शासकीय भूमि 23.325 हे0 एवं सेजवाडा खुर्द की शासकीय भूमि रकबा 10.810 हे0 भूमि मद छोटे/बडे झाड जंगल के वन हक प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में एक भी आवेदन पत्र प्राप्त नही हुआ , न ही कोई दावा समिति के समक्ष लंबित है । डब्ल्यू 0सी0एल0 पेंच क्षेत्र की कोयला खदान धनकसा भूमिगत खान में कोयला उत्खनन एवं उत्खनन से जुडे संबंधित कार्यो हेतु राजस्व एवं वन भूमि का ग्राम बांकी की शासकी भूमि रकबा 2.992 हे, ग्राम बहेरिया की शासकीय भूमि 23.325 हे0 एवं सेजवाडा खुर्द की शासकीय भूमि रकबा 10.810 हे0भूमि पर अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण दिये जाने में कोई आपत्ति नही है ।

उपरोक्त आधारों पर डब्ल्यू 0सी0एल0 पेंच क्षेत्र की कोयला खदान धनकसा भूमिगत खान में कोयला उत्खनन एवं उत्खनन से जुडे संबंधित कार्यो हेतु राजस्व एवं वन भूमि का ग्राम बांकी की शासकी भूमि रकबा 2.992 हे, ग्राम बहेरिया की शासकीय भूमि 23.325हे0 एवं सेजवाडा खुर्द की शासकीय भूमि रकबा 10.810 हे0भूमि पर अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण दिये जाने की अनुशंसा की जाती है । साथ ही इस तथ्य से अवगत कराया जाता है कि शासन द्वारा जारी विभिन्न दिशा निर्देशों/अधिनियमों के तहत उक्त ग्राम बांकी , बहेरिया एवं सेजवाडाखुद्र की ली जाने वाली राजस्व /वन भूमि में किसी प्रकार की वैधानिक कठिनाई नही है । उक्त भूमि पर कोई मरघट, कब्रस्तान ऐतिहासिक धरोह नही है ।

अनुविभागीय अधिकारी
अमरवाड़ा
अनुविभागीय अधिकारी
अमरवाड़ा, जि. छिन्दवाड़ा